

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(सीमा वृद्धि)()डीएलबी/20/1377

दिनांक: 31/08/2020

अधिरूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) राषटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से नगर पालिका खरेली की वर्तमान सीमा क्षेत्र में निर्देशानुसार निम्नांकित ग्राम पंचायत, ग्राम की सीमा को सम्मिलित करती है :-

क्र. सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर पालिका की सीमा में शामिल ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम का विवरण
01..	अलवर	खरेली	ग्राम पंचायत सोंखर का राजस्व सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत खरेली रेल का राजस्व सीमा क्षेत्र ग्राम प्रीतमपुरा

राज्यपाल की/आज्ञा से,

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(सीमा वृद्धि)()डीएलबी/20/1372-1430 दिनांक: 31/08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री /मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, सचिवालय जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच /उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पंचायत सोंखर, खरेली रेल, ग्राम प्रीतमपुरा।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी